

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

प्रक्रिया

बनाम

बा. १५१९९

सं. मुकदमा

लगातार ५० पत्र

प्रकरण सं.

४२

सन् 2025

रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जा इस हुकम की तारीख  
म जारी हुए27<sup>3</sup>/<sub>11</sub>

परावली पेय डरि। उन्नत परा उपस्थिति।  
पण्डित डरि अवपु चरु डी न्याया डरि  
अवपु डिया जार डी परावली वरु  
जलज डेरु डिपु 30.3.25 के पेय डे।

अति.जिला कलक्टर  
शाहपुरा

30<sup>03</sup>/<sub>16</sub>


परावली पेय डरि। मुल परावली लख्या  
३१/२०२५ के निहताण हो जाने के  
प्रथिना पर प्रभावहीन हो चुका डे।  
अतः प्रथिना पर खारिण किया जार डे।  
परावली फेरु शुभा होरु मुल  
परावली के साथ तिलाण डे।


निर्णय लिखा जाका हुगा जगा | ५/५

अति.जिला कलक्टर  
शाहपुरा

नम  
अह  
हुक  
में र

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/3/26 पत्रा० पेशा / उत्राप पक अपः / मूल पत्रा० पत्र  
बहल कुनी गली / पत्रावली वाले का गिरे कप  
वाही सिनाठ 30/3/26 को पेशा ही   
अति. जिला कलक्टर  
शाहपुरा

30/3/26 पत्रावली पेशा / मूल पत्रा० 60/2025 के निद्वारित  
हो जाने से हस्तगत प्रार्थना-पत्र प्रभावहीन हो चुका  
है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।  
पत्रावली केवल कुमार हो। मूल पत्रा० के साथ  
नटकी है।  
निर्णय किया जाकर सुनाया गया। 

अति. जिला कलक्टर  
शाहपुरा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

बनाम.....

रूम मुकदमा.....

प्रकरण सं.....

सन् 2025

रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जा इस हुकम की लागू  
में जारी हुए

अ/3/1/पर्याप्त ज्ञान / लेख ज्ञान प्रस्तुत करने में  
नामाभेदात् रहा है।

कारण: उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थ  
म्याद बाह्य होने से कास्कीया बर खारिज  
की जाती है निर्णय पत्र से लिखा जाकर शा. पत्रा. है।  
पत्रावली के लिये नम्बर से कम की  
जाकर दीखिल रहता है।

गया/प्रम निर्णय लिखा जाकर तबे इजलास कुनादा

अति. जिला कलक्टर  
शाहपुरा